न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 249/23 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2023/269)

मांगीलाल पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी मेई कलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नृसिंहलाल पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी मेईकलां जिला सवाईमाधोपुर।
2. सीताराम पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी मेईकलां जिला सवाईमाधोपुर।
3. ग्राम पंचातय मेई कलां तहसील खण्डार जरिये सरपंच।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर खण्डार दिनांक 19.10.2023 व सिलसिले नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 ग्राम पंचायत मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनसिंह राना वकील अपीलान्ट।
2. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः–27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत मेईकलां द्वारा खातेदार बजरंगा के फौत होने पर विरासतन नामान्तकरण संख्या 1341 पर कालम संख्या 7 के बजाये कॉलम संख्या 9 के अनुसार उसके तीनों पुत्रों के नाम का इन्द्राज स्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 15.10.2001 को दिया गया। उक्त नामान्तकरण के खिलाफ रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रथम अपील उपखण्डाधिकारी खण्डार के न्यायालय में पेश की गई। उपखण्डाधिकारी खण्डार के द्वारा रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत अपील में बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 19.10.2023 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार खण्डार को रिमाण्ड करते हुये यह आदेश पारित किये कि ....'' अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 ग्राम मेईकलां निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार खण्डार को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक बजरंगा पुत्र गोविन्दा के विधिक वारिसान की जांच कर उभयपक्ष की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।''.... उपखण्डाधिकारी खण्डार की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 19.10.2023 के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27-8-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विरूद्ध उक्त द्वितीय अपील अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2023 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम मेईकलां के आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 4 बीघा 5 विस्बा खसरा नम्बर 273/3 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 1245/508 रकबा 3 बीघा 11 विस्बा, खसरा नम्बर 1263/907 रकबा 1 बीघा 5 विस्बा, खसरा नम्बर 1264/907 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 15 बीघा 1 विस्बा इसी प्रकार खसरा नम्बर 841 रकबा 2 बीघा 15 विस्बा, खसरा नम्बर 1045/116 रकबा 2 विस्बा कुल किता–2 कुल रकबा 2 बीघा 17 विस्बा वाकै ग्राम मेईकलां में स्थित है, जो अपीलान्ट तथा रैस्पोडेन्ट 1 व 2 के पिता बजरंगा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात थी। अपीलान्ट व रैस्पो0 के पिता बजरंगा के अपने जीवन काल में ही तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 बंटवारा कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता बजरंगा की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 1341 के द्वारा अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 1, 2 के नाम 1/3 व 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 15.10.2001 को दिया गया। उक्त नामान्तकरण खोले जाने के बाद जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 में अमलदरामद भी कर दिया गया। जिसकी पुष्टि स्वरूप जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 की प्रति भी पेश की गई है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने के 20 वर्ष बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी खण्डार के न्यायालय में इस आधार पर नामान्तकरण संख्या 1341 के विरूद्ध अपील पेश की गई कि अपीलान्ट दोला पुत्र गोविन्दा जाट के गोद जाने तथा ग्राम भूलनपुर में निवास करने तथा दोला की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी में स्थित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होने के कारण पिता बजरंगा की सम्पत्ति में अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं रहा। उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1341 को निरस्त किये जाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड की गई है, जो कि नियम विरूद्ध है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि अपीलान्ट न तो मृतक दोला पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर कभी गोद गया और न ही अपीलान्ट के पक्ष में कोई गोद पत्र ही रजिस्टर्ड करवाया गया तथा सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार भी मृतक दोला द्वारा अपीलान्ट को कभी भी गोद नहीं लिया गया। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी में पि0 मुतवन्ना मांगीलाल अपीलान्ट का नाम अंकित हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27-8-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट दोला पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी भूलनपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के गोद गया है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम पिसर मुतबन्ना दोला अंकित नहीं है, परन्तु इस इस अहम तथ्य को नजरअंदाज कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई मियाद बाहर अपील के संबंध में भी मियाद के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया। जबकि मियाद बाहर पेश अपील में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक था।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि दोला पुत्र गोविन्दा अपीलान्ट व रैस्पो0 1 व 2 के मामा लगते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था होने के कारण दोला ने अपीलान्ट के पिता से कहा कि उनकी सेवा करने के लिये कोई नही है। इसलिये अपीलान्ट को भिजवा दो, जिस पर अपीलान्ट के पिता द्वारा मामा की सेवा करने के लिये भेज दिया गया। अपीलान्ट समय–समय पर ग्राम मेईकलां में आकर अपने हिस्से की भूमि काश्त करता रहा तथा भूलनपुर से मामा की सेवा भी करता रहा। अपीलान्ट के मामा दोला ने अपीलान्ट की सेवा से प्रसन्न होकर अपीलान्ट के पक्ष में अपनी चल व अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयतनामा तस्दीक करा दिया। जिस पर दोला की मृत्यु होने के बाद दोला की खातेदारी में स्थित भूमि वसीयतनामे के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में लग गई, परन्तु रजिस्टर्ड वसीयत होने के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि अपीलान्ट न तो दोला की कभी गोद ही गया और न ही कभी रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई रजिस्टर्ड गोदनामा अथवा दस्तावेज या शपथ पत्र आदि अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके बाबजूद बिना किसी स्पष्ट रिकार्ड व दस्तावेज के उपखण्ड अधिकारी खण्डार ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार खण्डार को प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 निरस्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत मेईकलां की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1341 ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर मृतक खातेदार का जो सजरा तैयार किया गया है, उसमें 3 पुत्र व 1 पुत्री होना बताया है, परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तकरण केवल पुत्रों के नाम नामान्तकरण ही भरा गया है। पुत्री शान्ति के नाम नामान्तकरण नहीं भरे जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अपीलान्ट की ओर से शान्ति को अदालत हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिये अपील चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा उक्त नामान्तकरण को तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं की गई। यदि ग्राम पंचायत द्वारा मजमेंआम में जॉच की जाती तो यह तथ्य सामने आ जाता कि अपीलान्ट अपने मामा के उनके पिता की मृत्यु से पूर्व ही गोद चले गया है तथा मामा की खातेदारी में स्थित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राकृतिक पिता व गोद पिता दोनों की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके बाबजूद भी अपीलान्ट द्वारा गोदपिता की सम्पत्ति के साथ–साथ प्राकृतिक पिता की खातेदारी में स्थित भूमि का क्लेम किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय में मियाद संबंधी बिन्दु को उल्लेखित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट के द्वारा अदालत मातहत में कोई आपत्ति नहीं की गई। अदालत मातहत में विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार किया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। इसके अलावा भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में जॉच किये जाने हेतु तहसीलदार खण्डार को रिमाण्ड किया है। अपीलान्ट तहसीलदार खण्डार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा अदालत मातहत में केवल अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया था। शान्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिये अपीलान्ट की ओर से भी अदालत मातहत में वर्णित पक्षकारों को ही पक्षकार बनाते हुये अपील पेश की गई है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में मियाद के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अदालत मातहत का दायित्व था कि मियाद बाहर पेश हुई अपील में मियाद के बिन्दु को निर्णित करने के बाद ही अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा मियाद बाहर अपील को बिना किसी आधार के स्वीकार करते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण को 20 वर्ष बाद निरस्त किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2013 निरस्त किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

27.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी खण्डार के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। जिसके साथ अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसका अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया तथा मियाद के बिन्दु के संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। इसके आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। केवल मात्र अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माने जाने का उल्लेख नहीं किये जाने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मियाद के बिन्दु को निर्णित नहीं किया है। इसके अलावा मियाद संबंधी बिन्दु विचारण/अपीलीय न्यायालय का विवेकाधिकार है। जिसके तहत संबंधित न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत हुये दस्तावेज के आधार पर अपील को मियाद बाहर या अन्दर मियाद माने जाने का निर्णय लिया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा अपील के मियाद बाहर होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया है। इसलिये यही माना जायेगा कि उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना गया है। वैसे भी मियाद के बिन्दु के संबंध में अदालत मातहत के द्वारा लिये गये निर्णय में जब तक कि कोई गंभीर अनियमितता या अवैधानिकता नहीं हो अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मियाद के बिन्दु के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में की गई आपत्ति उचित नहीं है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हुये रिकार्ड व दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन तथा परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 को पारित किया है। जिसमें ग्राम पंचायत मेईकलां की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 1341 दिनांक 15.10.2001 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषितं किया है कि मृतक बजरंगा पुत्र गोविन्दा के विधिक वारिसान की विधिवत जॉच कर उभयपक्षों की सुनवाई/साक्ष्य सबूतों का समुचित अवसर देते हुये नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश में उभयपक्षकारान को नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खण्डार को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि नामान्तकरण संख्या 1341 पर मृतक खातेदार बजरंगा पुत्र गोविन्दा जाट के वारिसान का जो सजरा बनाया गया है। उसमें अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के अलावा बजरंगा की पुत्री शान्ति होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पुत्री के नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया है, जो कि उचित नहीं है। इस आधार पर नामान्तकरण संख्या 1341 को उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक वकील अपीलान्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि अपीलान्ट दोला के गोद नहीं गया था। वरन् अपीलान्ट के पिता द्वारा दोला जो कि अपीलान्ट का मामा था कि सेवा सुश्रषा हेतु भेजा गया था तथा अपीलान्ट की सेवा से प्रसन्न होकर दोला द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दोला के खाते में स्थित भूमि की वसीयत की गई थी तो उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा प्रकरण तहसीलदार खण्डार को मृतक खातेदार बजरंगा के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्षकारान को सुनवाई/साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देते हुये नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट तहसीलदार खण्डार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। इसलिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★